भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2079
दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

ऑनलाइन बाल यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण

2079 **श्री कार्तिकेय शर्माः**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करके ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को रोकने और उससे निपटने के लिए एक समन्वित तंत्र स्थापित किया है;
(ख) क्या सरकार ने ऑनलाइन यौन शोषण से प्रभावित बच्चों के लिए परामर्श, पुनर्वास तथा सहायता सेवाओं सहित बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया है; और
(ग) क्या मंत्रालय ने बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं देखभालकर्ताओं के लिए डिजिट्ल सुरक्षा एवं ऑनलाइन बाल संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने, उसका पता लगाने और उससे निपटने के लिए व्यापक और समन्वित संस्थागत ढांचा तैयार किया है। सरकार की इन नीतियों का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में महिलाओं और बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 में ऑनलाइन यौन शोषण सहित यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है। धारा 12 में किसी बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान है जैसा कि धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन माध्यम शामिल हैं, जैसे कि यौन संबंधी टिप्पणी करना, अश्लील सामग्री दिखाना, या यौन मंतव्य से बच्चे से बार-बार संपर्क करना। धारा 13 यौन संतुष्टि के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित या प्रसारण मीडिया सहित मीडिया के किसी भी रूप में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग को अपराध घोषित करती है। धारा 14 में पहले अपराध के लिए कम से कम पांच वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है जबकि दूसरी या बाद में दोषसिद्धि पर जुर्माने के साथ कम से कम सात वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा, धारा 15 बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को संग्रहीत करने या रखने के लिए श्रेणीबद्ध दंड का प्रावधान करती है, जिसमें अपराध की प्रकृति और प्रयोजन के आधार पर ऐसी सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता शामिल है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ऑनलाइन बाल यौन शोषण के अपराधों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचे को और सुदृढ़ करती है। धारा 294 इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित अश्लील सामग्री के विक्रय, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रसार को अपराध बनाती है, जबकि धारा 295 विशेष रूप से बच्चों को अश्लील सामग्री के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन यौन अपराधों का समाधान करने के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। आईटी अधिनियम पहचान की चोरी, प्रतिरूपण, निजता के उल्लंघन, और अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण जैसे अपराधों के लिए सजा निर्धारित करता है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अपराधों की जांच करने का अधिकार भी देता है। आईटी नियम, 2021 बच्चों के लिए हानिकारक या अन्यथा गैरकानूनी सामग्री को होस्ट करने या साझा करने से रोकने के लिए मध्यवर्तियों पर उचित सावधानी बरतने की जिम्मेदारी डालते हैं। इसके अलावा, नियम 3(2)(ख) के तहत, मध्यवर्तियों को शिकायत प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर, पूर्ण या आंशिक नग्नता, यौन कृत्यों, या एआई-जनित/ बदली हुई या छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ्ड) अंतरंग तस्वीरों वाली सामग्री तक को हटाने या पहुंच अक्षम करना होता है।

केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई से तैयार की गई सामग्री सहित कृत्रिम रूप से तैयार की गई जानकारी (एसजीआई) से होने वाली हानियों को दूर करने के लिए आईटी नियम, 2021 में संशोधन के माध्यम से नियामक ढांचे को और मजबूत किया है, जिसमें

मध्यवर्तियों को सक्षम न्यायालय के आदेश या उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी से तर्कसंगत सूचना प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना होता है।

सरकार सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन सृजित करने तथा जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता प्रसार करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' पर एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है। अब तक, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल/कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन, सरकारी कर्मियों और आम जनता सहित 11.37 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, पुस्तिका, बच्चों के लिए कार्टून वाली कहानियां इत्यादि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया तथा लघु-पुस्तिका www.isea.gov.in और https://staysafeonline.in/ के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित की गई।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) नियमित रूप से डीपफेक सहित एआई से संबंधित खतरों पर दिशानिर्देश जारी करती है, और बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षा एडवाइजरी, जागरूकता पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो प्रसारित करती है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (एसएसएमआई) को बलात्कार, बाल यौन शोषण या शोषण को दर्शाने वाली सामग्री या पहले हटाई गई सामग्री के समान सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए स्वचालित उपकरणों सहित उचित तकनीकी उपाय करने के लिए उचित प्रयास करने का अधिदेश देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यवर्तियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है ताकि गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी सूचना, डेटा या संचार लिंक को हटाने या पहुंच को अक्षम करने की सुविधा प्रदान की जा सके। यह प्लेटफ़ॉर्म बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) तथा अन्य गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री से संबंधित वैध अनुरोधों के साथ मध्यवर्तियों द्वारा समय पर रिपोर्टिंग, समन्वित कार्रवाई और त्वरित अनुपालन को सुगम बनाता है।

गृह मंत्रालय बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने की सुविधा

प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) संचालित करता है। मंत्रालय ने समन्वित और व्यापक तरीके से बच्चों के प्रति साइबर अपराध सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की भी स्थापना की है।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में निहित प्रावधानों के अनुरूप सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्कूल सुरक्षा पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशा-निर्देश परामर्श के रूप में हैं तथा 01.10.2021 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों/स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त निकायों और हितधारक मंत्रालयों को परिचालित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि शारीरिक या यौन हिंसा,धमकाने (बुलीइंग), चोट पहुंचाने इत्यादि जैसी किसी भी अप्रिय घटना के मामले में स्कूल प्रबंधन को संबंधित प्राधिकारियों को मामले की सूचना देनी चाहिए और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए तथा सुधारात्मक उपाय भी करने चाहिए ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण (ओसीएसएई) का समाधान करने के लिए नियमित रूप से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। आयोग राज्य, जिला और वर्चुअल स्तर पर विद्यालय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम सहित बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके अलावा, एनसीपीसीआर ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने, साइबर बुलीइंग को रोकने तथा बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और अन्य हितधारकों में जागरूकता प्रसार के लिए *बीइंग सेफ ऑनलाइन (2017), स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा नियमावली (2020-21 में अद्यतन), और स्कूली बच्चों के लिए साइबर बुलीइंग को रोकने संबंधी दिशानिर्देश (2024)* सहित मार्गदर्शन दस्तावेज़ तैयार किए हैं और समय-समय पर अद्यतन किया है।
